



100

स्यद्वारा प्रेषित  
Exp. 1970/95

प्रतिनिधि सचिवालय - - - - - को जो कि श्री  
जे. के. एल. रामपुत द्वितीय अवर जज न्यायाधीश, दुर्ग प्रमोद के न्यायालय  
में तत्र प्रमोद 233/92 अभिलिखित कि गया है, जितके परकार निम्नलिखित है:-

मोप्रशासन, द्वारा- थाना भिमाई नगर,  
द्वारा - सी०बी०आई० न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

विरुद्ध

1. चन्द्रकान्त शाह आ० रामजी भाई शाह,  
ताकिन- 21/24, मेहरु नगर, भिमाई.
2. शान्तिबाई मिश्रा उर्फ शानू आ० छोटकन,  
ताकिन- बाबा आटा चक्री, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिमाई.
3. अश्वेश रवि आ० रामशाशोध राय,  
ताकिन-वालोनी- 7ए, रोड नं०-5, गेट-5, भिमाई.
4. अमय कुमार सिंह उर्फ अमय सिंह आ० विक्रमा सिंह,  
ताकिन- 7 जो, कैम्प-1, भिमाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ० रामजी भाई शाह,  
ताकिन-सिम्पलेक्स कालोनी, मानवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग.
6. नवीन शाह आ० रामजी भाई शाह,  
ताकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मानवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग.
7. पलटन मत्साह उर्फ रवि आ० नोलाई मत्साह,  
ताकिन- निम्हरी थाना सद्रपुर, जिला देवास प्रमोद 233/92
8. चन्द्र लक्ष्मी सिंह आ० भारत सिंह,  
ताकिन-जी-36, ए०सी०सी०कालोनी, जामूल, जिला दुर्ग.
9. बलदेव सिंह लक्ष्मी आ० रावेल सिंह लक्ष्मी,  
ताकिन- आर-37, ए०पी०डाऊनिंग रोड कालोनी,  
इन्डस्ट्रियल एरिया, भिमाई. .... अभियोजन

सत्यप्रतिनिधि

प्रधान प्रतिनिधि  
प्रतिनिधि  
कार्या. जिला  
दुर्ग

न्यायालय: - विद्वतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग । MO प्र० ।

। समक्ष: - श्री जे०के०एस०राजपूत ।

सत्र प्र०क्र०- 233/92

:: आरोप-पत्र ::

में जे०के०एस०राजपूत, विद्वतीय अति सत्र न्यायाधीश, दुर्ग । MO प्र० ।

तुम चंद्रकांत शाह आत्मज रामजीभाई शाह पर निम्नलिखित

आरोप लगाता हूँ :- ~~भारत या सेलिनब्लर या के मध्य किसी समय यह कि आपने हुडको को मोनी, दुर्ग में दिनांक 28-9-91 को या~~

प्रथम :-

ला-दुर्ग (म.प्र.) में उसके लगभग प्रायः 3.45 बजे या उसके लगभग मूलचंद शाह, नवीन शाह, चंद्रकांत

शमद, ज्ञानप्रकाश मिश्रा, अवधेश राय, अभयकुमारसिंह, चंद्रब्रह्मसिंह, बलदेवसिंह एवं

फलटन मल्लाह के साथ आपसी सहमति वदारा शंकर गुहा नियोगी की हत्या का

बहुयंत्र रचा, जो एक अवैध कार्य था या उसे अवैध साधनों वदारा कारित करने के

लिये करार किया था या उस सहमति के अनुसरण में शंकर गुहा नियोगी की हत्या

0 28-9-91 को उक्त की गई और इस प्रकार आपने एक ऐसा कार्य किया, जो कि भारतीय दंड संहिता

15 वें अनुच्छेद के अंतर्गत की धारा 120 बी सहपठित धारा 302 के अधीन एक दंडनीय अपराध है तथा इसके

संज्ञान की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है ।

अतएव मैं आदेशित करता हूँ कि उक्त आरोप का विचारण इस

न्यायालय वदारा लिया जावे ।

J. K. S. R.

। जे०के०एस०राजपूत ।

विद्वतीय अति सत्र न्यायाधीश,

दुर्ग । MO प्र० ।

दुर्ग, दिनांक: - 25-5-94

अभियुक्त को उक्त आरोप का पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर

उसने कथन किया कि :- ~~आपका तंका है~~

J. K. S. R.

। जे०के०एस०राजपूत ।

विद्वतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,

दुर्ग । MO प्र० ।

दिनांक: - 25-5-94

31-5-94  
J. K. S. R.  
9-8-94

चंद्रकांत शाह

चंद्रकांत शाह  
9-8-94



सत्यप्रतिलिपि

19/5/94

प्रधान अतिरिक्त न्यायाधीश

कार्या, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म.प्र.)